पत्रांक –सं0सं–2/उ0नि0/भूमि सम्परिवर्त्तन/03–53/2016.................

निबंधित

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषकः– पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
बक्सर।

पटना, दिनांकः.................

विषयः– सर्वश्री **माँ विन्ध्यवासिनी** ईट उद्योग, जलवासी, इटाढ़ी, बक्सर के भूमि सम्परिर्त्तन शुल्क में छूट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उद्योग विभाग के संकल्प सं0–09 दिनांक 05.01.15 द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन (संशोधन) नीति 2014 निर्गत है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 की कंडिका–3(II)(ग) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग विभाग के पत्रांक 1474 दिनांक 11.08.15 एवं निबंधन विभाग के आदेश संख्या 3216/3217 दिनांक 24.10.11 के आलोक में उपलब्ध कराए गए कागजातों के आधार पर सम्यक विचारोपरांत **सर्वश्री माँ विन्ध्यवासिनी ईट उद्योग, जलवासी, इटाढ़ी, बक्सर** को फ्लाई एश ब्रिक्स उद्योग की स्थापना हेतु खाता सं0–41, खेसरा सं0–183, मौजा–जलवासी, थाना सं0–427, क्षेत्रफल–01 एकड़ (43,560 वर्गफीट) के भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में शत प्रतिशत छूट अनुमान्य की जाती है। ईकाई के निवेश प्रस्ताव पर जिला स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

कृपया इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने के उपरांत स्टाम्प ड्यूटी/ निबंधन शुल्क में छूट की राशि सहित पूर्ण विवरणी के साथ एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,
ह0/–

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः................. पटना, दिनांकः.......................

प्रतिलिपिः– महानिरीक्षक, निबंधन, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, बक्सर/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 1210 पटना, दिनांकः 21.3.16

प्रतिलिपिः– **सर्वश्री माँ विन्ध्यवासिनी ईट उद्योग, जलवासी, इटाढ़ी, बक्सर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/3

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

Vishwanath-sec-02